नगर निगम, करनाल के सामुदायिक केन्द्रों को दो वर्ष के लिए लीज़ पर देने हेतू नियम व शर्तें

1. नगर निगम, करनाल के विभिन्न गाँवों, कॉलोनियों व सैक्टरों में स्थित सामुदायिक केन्द्रों की बोली के लिए रिजर्व किराया निर्धारित नहीं किया गया है अर्थात् बोली शून्य से बोली आरम्भ की जाएगी तथा अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति को सामुदायिक केन्द्र लीज़ पर दिया जाएगा।
2. नगर निगम, करनाल द्वारा विभिन्न सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग के लिए बुकिंग राशी निम्न अनुसार निर्धारित की गई है:–

क्रमांक	सामुदायिक केन्द्र	बुकिंग राशी		
		नगर निगम, करनाल के किसी भी क्षेत्र का निवासी जिसकी परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय 1.80 लाख रूपये से कम हो। (विवाह, विवाह से संबंधित सभी कार्य तथा जन्मदिन आदि सभी कार्यक्रमों के लिए)	सभी सामान्य व्यक्ति जिसकी परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय 1.80 लाख रूपये से अधिक हो। (विवाह, विवाह से संबंधित सभी कार्य तथा जन्मदिन आदि सभी कार्यक्रमों के लिए)	शोकसभा व ग्राम/क्षेत्र के सामुहिक कार्यक्रमों के लिए
1	गाँव कम्बोपुरा स्थित सामुदायिक केन्द्र।	Rs. 21,000/-	Rs. 31,000/-	Rs. 5,000/-
2	गाँव उचानी स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 3,100/-	Rs. 11,000/-	Rs. 2,000/-
3	गाँव कैलाश स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 3,100/-	Rs. 11,000/-	Rs. 2,000/-
4	गाँव बुढाखेड़ा स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 3,100/-	Rs. 11,000/-	Rs. 2,000/-
5	गाँव सिरसी स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 3,100/-	Rs. 11,000/-	Rs. 2,000/-
6	प्रेम नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 21,000/-	Rs. 31,000/-	Rs. 5,000/-
7	सैक्टर–9 स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 21,000/-	Rs. 31,000/-	Rs. 5,000/-
8	सैक्टर–13 एक्स्टैंशन स्थित सामुदायिक केन्द्र	Rs. 11,000/-	Rs. 21,000/-	Rs. 3,000/-
9	सैक्टर–7 स्थित सामुदायिक केन्द्र का केवल भूतल पर स्थित हॉल व लॉन।	Rs. 11,000/-	Rs. 21,000/-	Rs. 3,000/-

नोटः परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का विवाह अथवा अन्य कार्यक्रम है तभी उसके नाम PPP आधार पर कम की गई बुकिंग राशी अनुसार बुकिंग की जाएगी जिसके लिए बुकिंगकर्ता को परिवार पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। उपरोक्त बुकिंग राशी में जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा व 500/– रूपये का सॉलिड वेस्ट चार्ज अलग से लिया जाएगा।

3. उपरोक्त सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग *"पहले आओ पहले पाओ"* के आधार पर की जाएगी।
4. बुकिंग की प्रक्रिया नगर निगम, करनाल द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी जिसके लिए बुकिंग करवाने वाली पार्टी को नगर निगम, करनाल द्वारा टोकन जारी किया जाएगा जिसकी वैधता केवल 72 घण्टे की होगी अर्थात् संबंधित पार्टी 72 घण्टे के अन्दर–अन्दर सामुदायिक केन्द्र में जाकर

ठेकेदार के पास पैसे जमा करवाएगी। पैसे जमा करने उपरांत ठेकेदार उसी टोकन पर अपनी **बुकिंग कन्फर्म** की स्टैम्प लगाकर पार्टी को टोकन वापिस देगा तथा पार्टी वह टोकन नगर निगम, करनाल में वापिस जमा करवाएगी। उसके उपरांत ही बुकिंग को कन्फर्म समझा जाएगा।

5. बुकिंग की समयावधि 24 घण्टे की होगी अर्थात् प्रातः 8:00 बजे से अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक।

6. यदि भविष्य में सरकार द्वारा सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग के लिए कोई ऑनलाईन पोर्टल लांच किया जाता है तो उस स्थिति में भी बुकिंग का अधिकारी केवल नगर निगम, करनाल को होगा। सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर ऑफलाईन बुकिंग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

7. सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर केवल सात दिन की बुकिंग करने का अधिकार होगा अर्थात् यदि सात दिनों तक कोई बुकिंग नगर निगम, करनाल में प्राप्त नहीं होती है तो उन सात दिनों की बुकिंग सफल बोलीदाता अपने स्तर पर कर सकता है।

8. सफल बोलीदाता प्राप्त हुई बुकिंग राशी से ही संबंधित सामुदायिक केन्द्र की मैन्टेनैन्स व रखरखाव का कार्य करेगा तथा संबंधित सामुदायिक केन्द्र में **24 x 7** एक चौकीदार नियुक्त करेगा जो सामुदायिक केन्द्र में रहकर इसकी देखरेख आदि करेगा व चौकीदारी का कार्य भी करेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम, करनाल द्वारा बोलीदाता को कोई राशी नहीं दी जाएगी।

9. सफल बोलीदाता को सामुदायिक केन्द्र की लॉन में लगी घास की उचित तरीके से देखभाल करनी होगी तथा मौसम अनुसार फूलों व सजावट आदि के पौधे लगाने होंगे।

10. सफल बोलीदाता बुकिंग करवाने वाली पार्टी से 30,000/– रूपये की धरोहर राशी अपने पास जमा करवाए क्योंकि यदि कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक केन्द्र के स्ट्रक्चर को कोई हानि अथवा टूट–फूट आदि होती है या किसी भी सक्षम अधिकारी/कोर्ट द्वारा डी.जे. आदि के संचालन बारे उल्लंघना की स्थिति में चालान किया जाता है तो उस धरोहर राशी से इसकी भरपाई की जा सके। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आती है तो यह धरोहर राशी ठेकेदार द्वारा विवाह कार्यक्रम समाप्त होने उपरांत अपने स्तर पर ही बुकिंग करवाने वाली पार्टी को रिफण्ड की जाएगी।

11. केटरिंग, डैकोरेशन व खान–पान आदि की व्यवस्था के लिए ठेकेदार अपने स्तर पर बुकिंगकर्ता से तालमेल/मोलभाव करके आवश्यकतानुसार पैसे चार्ज कर सकता है किन्तु सफल बोलीदाता बुकिंगकर्ता को केवल उसकी केटरिंग, डैकोरेशन व खान–पान की बुकिंग करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। बुकिंगकर्ता बाहर से किसी अन्य फर्म से भी उपरोक्त व्यवस्थाएं करवा सकता है जिस पर सफल बोलीदाता को कोई ऐतराज नहीं होगा।

12. जिन सामुदायिक केन्द्रों में नगर निगम, करनाल द्वारा कमरे व फर्नीचर उपलब्ध करवाया हुआ है उनके लिए सफल बोलीदाता बुकिंग राशी के अतिरिक्त कोई राशी चार्ज नहीं करेगा।

13. सफल बोलीदाता अपने स्तर पर सामुदायिक केन्द्र के नाम में बदलाव नहीं करेगा तथा ना ही सामुदायिक केन्द्र पर कोई बैंक्वेट हॉल आदि का बोर्ड लगाएगा। इसके अतिरिक्त सफल बोलीदाता नगर निगम, करनाल की अनुमति के बिना ना तो सामुदायिक केन्द्र में स्थाई स्ट्रक्चर/गोदाम बनाएगा तथा ना ही सामुदायिक केन्द्र को गोदाम आदि उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाएगा व ना ही टैन्ट आदि को धोने का कार्य सामुदायिक केन्द्र में करेगा।

14. सामुदायिक केन्द्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के उपरांत एकत्रित कूड़ा–कचरा आदि नगर निगम, करनाल की कूड़े वाली गाड़ियों द्वारा उठा दिया जाएगा किन्तु सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर कूड़े को अलग–अलग एकत्रित करने के लिए सामुदायिक केन्द्र में बड़े डस्टबिन लगाने होंगे।

15. यदि नगर निगम, करनाल द्वारा कोई राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया ज़ाना है तथा सामुदायिक केन्द्र उस तिथि के लिए खाली है तो नगर निगम, करनाल संबंधित सामुदायिक केन्द्र में अपने स्तर पर वह कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

16. सामुदायिक केन्द्रों में ज़ो बिज़ली, सीवरेज व पामी के कनैक्शन लगे हुए हैं उनके बिलों की अदायगी सफल बोलीदाता समय पर करने का पाबन्द होगा। यदि बोलीदाता बिल की अदायगी समय पर करने मे विफल रहता है तथा उस स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा ज़ो भी ज़ुर्माना लगाया जाता है उसकी अदायगी सफल बोलीदाता संबंधित विभाग को करने का पाबन्द रहेगा।

17. सफल बोलीदाता को बिना अनुमति के सामुदायिक केन्द्रों में किसी प्रकार की फेरबदल करने का अधिकार नहीं होगा। यदि बोलदाता द्वारा किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो नगर निगम, करनाल को किरायानामा रद्द करने व संबंधित सामुदायिक केन्द्र का कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा। उल्लंघना की स्थिति में बोलीदाता से ज़ुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

18. सफल बोलीदाता को धरोहर राशी के रूप में 1.00 लाख रूपये की राशी नगर निगम, करनाल कोष में (बैंक ड्राफ्ट/नकद) ज़मा करवानी होगी जो लीज़ की अवधि की समाप्ति अर्थात् दो वर्ष तक के लिए नगर निगम, करनाल के पास जमा रहेगी जिसे लीज़ की अवधि समाप्त होने उपरांत बिना किसी ब्याज के रिफण्ड कर दी जाएगी।

19. सफल बोलीदाता को नगर निगम, करनाल के नियम व शर्तों बारे नगर निगम, करनाल के साथ 10/– रूपये के गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर पर किराएनामें का इकरारनामा सम्पन्न करना होगा। उसके उपरांत ही बोलीदाता को सामुदायिक केन्द्र का कब्ज़ा दिया जाएगा।

20. बोलीदाता को अपने खर्च पर फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना होगी तथा लीज़ की अवधि समाप्त होने पर भवन को जैसी हालत में दिया जा रहा है उसकी हालत में नगर निगम, करनाल को सौंपना होगा। यदि भवन में कोई भी नुक्सान पाया गया तो उसकी भरपाई बोलीदाता की जमा धरोहर राशी से कर ली जाएगी। यदि बोलीदाता किसी कारणवश सामुदायिक केन्द्र की लीज़ के इकरारनामें को बीच में समाप्त करता है तो उसे दो माह पूर्व नगर निगम, करनाल को लिखित में सूचना देनी होगी। बीच में लीज़ समाप्त करने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई 1.00 लाख रूपये की धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी।

21. बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर की गई सभी बुकिंगों का ब्यौरा लिखित रूप में रखा जाएगा। नगर निगम, करनाल को किसी भी समय किसी भी बुकिंग को चैक करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. समारोह के समय सामुदायिक केन्द्रों में जो भी वाहन आऐंगे उन्हें पार्किंग में सुनियोजित ढंग से खड़ा करवाने की जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी।

23. समारोह समाप्त होने उपरांत सामुदायिक केन्द्र में पूर्ण रूप से सफाई करवाने तथा कूड़े का निष्पादन सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतोंनुसार करवाने की जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी।

24. सामुदायिक केन्द्र में समारोह के दौरान डी.जे. का प्रयोग माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही करना होगा।

25. आयुक्त, नगर निगम, करनाल को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए लीज़ रद्द करने व लीज़ को आगामी समय तक बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, करनाल का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।